



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-14032026-270955
CG-RJ-E-14032026-270955

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1266]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2026/फाल्गुन 22, 1947

No. 1266]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2026/PHALGUNA 22, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 13 मार्च, 2026

का.आ. 1323(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) और रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा-2 के खण्ड 7क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित जिले के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य में विशेष रेल परियोजना "उत्तर पश्चिम रेलवे के खीमेल में बिजली आपूर्ति उन्नयन परियोजना" के संदर्भ में इस विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है :-

सारणी

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
(अ)	उप खण्ड अधिकारी, बाली (उपखंड क्षेत्र बाली हेतु)	पाली

[फा. सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-25]

राजीव श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Jaipur, the 13th March, 2026

S.O. 1323(E).— In exercise of the powers conferred by clause 7A of section -2 of the Railway (Amendment) Act, 2008(11 of 2008) and the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Table below as “Competent Authority” to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project of “**Power Supply Upgradation Project at Khimel in North Western Railway**” in the state of Rajasthan relating to Districts mentioned in column (3) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Projects.

TABLE

Sr. No.	Competent Authority	District
(1)	(2)	(3)
(A)	Sub Divisional Officer, Bali (For Bali Sub-division)	Pali

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XXV]

RAJEEV SHRIVASTAVA, Chief Administrative Officer (Const.)